संसद के समक्ष अभिभाषण – 19 फरवरी 1973

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरुप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

आप उन कठिन कार्यों के लिए एकत्र हुए हैं जो आपके सामने आगे आएंगे। औपचारिक विधायी कार्य के अतिरिक्त आपको उन समस्याओं पर, जिनका राष्ट्र सामना कर रहा है, विचार कर सरकार और जनता का मार्गदर्शन करना है।

जैसे ही देश 1971 की असाधारण चुनौतियों का सामना करने में सफल हुआ कि हमारे सामने नई समस्याएं उठ खड़ी हुईं। शरणार्थियों की बाढ़ और युद्ध से उत्पन्न कठिनाइयां देश के कई भागों में सूखा पड़ने से और बढ़ गईं। सूखे और कुछ अन्य क्षेत्रों में तूफान और बाढ़ से जिन लोगों को कष्ट हुआ है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। इन सभी क्षेत्रों में रोजगार और सहायता के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। इस स्थिति का सामना करने में अनाज के बफर स्टॉक और जनता को अनाज मिलने की व्यवस्था को मजबूत करने से सरकार को बड़ी मदद मिली। 1972 में इस व्यवस्था द्वारा 1 करोड़ 6 लाख टन अनाज बांटा गया।

सूखा पड़ने से अनाज की पैदावार में कमी हुई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। इससे कीमतों पर भी असर पड़ा, जो पिछली मई के बाद काफी बढ़ी हैं। सरकार को इससे बड़ी चिंता हुई है। जनता को अनाज मिलने की व्यवस्था को मजबूत करने के अतिरिक्त, खरीफ फसल के नुकसान को पूरा करने के लिए, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों की उपज बढ़ाने के लिए एक आपातकालीन कार्यक्रम शुरू किया गया। आशा है कि इस वर्ष रबी की फसल अच्छी होगी। फिर भी, हमें अनाज के सभी उपलब्ध साधनों को होशियारी से काम में लाना चाहिए और अपव्यय से बचना चाहिए।

गेहूं और चावल के अधिशेष को लेकर थोक व्यापारियों को इन चीजों के व्यापार से अलग करके, और जनता, विशेषकर अभावग्रस्त क्षेत्रों और अधिक जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत बनाकर, खाने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और आम जनता के हितों की रक्षा की जा सकती है। जब मंडियों में गेहूं की अगली फसल आने का समय होगा तब उसका थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। बाद में चावल का थोक व्यापार भी सरकार ले लेगी। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिशेष और कमी वाले, दोनों प्रकार के राज्यों को पूरा सहयोग देना होगा।

उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता, प्राथमिकताओं की पूर्ति और उपेक्षित क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण नीति द्वारा नियंत्रण जरूरी है। सरकार ने इस वर्ष बाजार से ऋण लेने का कार्यक्रम अपनाया था उसका मकसद भी यही था कि वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की बेशी नकदी खपाई जा सके।

1972 में, वर्ष 1970 और 1971 के औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षाकृत धीमी गति में तेजी आई और उत्पादन 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। यदि देश के अधिकांश भागों में बिजली की कमी न होती तो उत्पादन और अधिक होता। सरकार बिजली पैदा करने, उसके संचार और वितरण में सुधार लाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय कर रही है।

हाल ही में सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की उत्पादन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के एकत्रीकरण को कम करने के उद्देश्य से अपनी औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया है। कई ऐसे उपायों की घोषणा की गई है जिनसे निवेश (इन्वेस्टमेंट) को व्यापक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। लाइसेंसों, पूंजीगत माल (कैपीटल गुड्स) औद्योगिक वित्तदाता संस्थाओं से वित्तीय सहायता, कम्पनियों और पूंजी निकासन की अर्जियों की बढ़ती हुई संख्या और उनकी स्वीकृति से पता चलता है कि औद्योगिक कार्यकलाप में तेजी आ रही है। सरकार भी इस बात पर बल दे रही है कि जो औद्योगिक लाइसेंस पहले मिल चुके हैं उन पर जल्दी कार्यवाही हो और इसमें तेजी लाने के व्यावहारिक उपाय कर रही है।

अव्यवस्था और अधिशेष पूंजी को फिर से न लगा पाने और संयंत्रों के आधुनिकीकरण न कर सकने के कारण कुछ टेक्सटाइल और इंजीनियरी यूनिट या तो बंद पड़े हैं या भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार ऐसी यूनिटों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उत्पादन और रोजगार की सुविधा को बढ़ाने के लिए ऐसी कई यूनिटों का प्रबन्ध इस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के फिर से स्थापित होने पर, 16-सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक स्थिति तेजी से सुधर रही है।

समाजवाद की ओर हमारी सतत प्रगति में, आर्थिक क्रियाकलाप का एक व्यापक भाग, सार्वजनिक स्वामित्व और प्रबंध के अंतर्गत आ गया है। इसमें परिवहन और

संचार का एक बड़ा भाग, बिजली, कोयला, इस्पात, भारी इन्जीनियरी, बैंकिंग, बीमा और बाह्य तथा आंतरिक व्यापार के महत्वपूर्ण अंश शामिल हैं। सरकार द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाने के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों में निश्चय ही सुधार हुआ है। वास्तव में इन सभी क्षेत्रों में उत्पादन तथा जन-सेवा का भाव प्रबंधक तथा श्रमिकों की कार्यनिष्ठा तथा सहभागिता की भावना पर निर्भर है। आजकल के संदर्भ में, प्रबंधकों और श्रमिकों दोनों को ही अपनी भूमिका के संबंध में पारम्परिक धारणा छोड़नी होगी। प्रबंधकों को नई मनोवृत्तियां अपनाकर श्रमिकों को जन-सेवक समझना होगा। श्रमिकों ने सदा समाजवादी परिवर्तन लाने में अगुआ होने की ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्हें अब देखना होगा कि हमारे सार्वजनिक उद्यमों को पूरी तरह सफल बनाकर उन्हें जन-सेवा का आदर्श बनाने में ट्रेड यूनियन की आपसी होड़ कोई बाधा न डाल पाये। जहां तक सरकार का प्रश्न है, वह यह मानती है कि आर्थिक प्रक्रिया में श्रमिकों का विशिष्ट स्थान है। सरकार का हमेशा यह प्रयत्न होगा कि श्रमिकों के न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा हो। मैं श्रमिकों से, विशेष रूप से मुख्य उद्योगों और क्षेत्रों में काम करने वालों से, अपील करता हूं कि देश के हितों को सर्वोपरि मानें और बहुत बड़ी संख्या में कम वेतन वाले बेरोजगार लोगों की स्थिति को अपने ध्यान से न हटाएं।

निर्बाध उत्पादन, उत्पादकता की वृद्धि, प्रबंध और मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के विभिन्न पहलुओं पर ट्रेड यूनियनों में सामंजस्य लाने का सरकार प्रयास करती रहेगी।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य में सुधार लाने के तरीकों पर विचार कर रही है। इनमें से कुछ का पुनर्गठन होल्डिंग कम्पनी के रूप में करने की आवश्यकता होगी जिसमें वास्तविक सार्वजनिक उत्तरदायित्व और औद्योगिक साहसिकता और क्षमता का मिलन हो। इस्पात उद्योग को इन नए तरीकों पर पुनर्गठित करने के लिए 'स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड', की स्थापना की गई है। प्रबंध कार्य तथा सामान्य प्रशासनिक क्रियाविधियों में और सुधार लाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र को स्वीकार कर लिया है। इस प्रलेख से उस प्रयास का संकेत मिलता है जो स्वावलम्बन प्राप्त करने और गरीबी हटाने के दोनों लक्ष्यों को उचित समय में पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। पंचवर्षीय योजना में कई कार्यक्रमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है, जैसे न्यूनतम आवश्यकता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रोजगार संबंधी कार्यक्रम, पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना, तथा जन-साधारण द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले माल के अधिक उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन के ढांचे का पुनर्गठन करना। गरीबी की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए हैं। यह दृष्टिकोण-पत्र सरकार के इस विश्वास पर आधारित है कि विकास और सामाजिक न्याय का अविच्छिन्न संबंध है। सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि विकास अर्थपूर्ण हो और विकास के लिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय दीर्घकालीन और स्थायी हो। कोरे विकास से अधिक महत्वपूर्ण है विकास की श्रेष्ठता और उसका अर्थतत्व।

पंचवर्षीय योजना को जो नई दिशा दी गई है और इसके लक्ष्य की विशालता हमारी जनता के सभी वर्गों से महान् प्रयास की अपेक्षा रखती है। बाहरी खतरों का सामना करते समय हमने जो एकता, मनोबल और विश्वास दर्शाया था, हमें उन पर देश के आर्थिक और सामाजिक पुनर्गठन के कार्य में दृढ़तापूर्वक जमे रहना है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता इस चुनौती को स्वीकार करेगी। हमारे गणराज्य की इस पांचवीं संसद को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह इस पंचवर्षीय योजना को आकार प्रदान करके आर्थिक स्वराज्य की दिशा में एक नया मोड़ देगी।

पिछले दो-तीन वर्षों से ग्रामीण जनता के हित के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं—कृषकों के लिए छोटे और व्यावहारिक कार्यक्रम, ग्राम-रोजगार का कार्यक्रम, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था तथा आहार-पुष्टि संबंधी कार्यक्रम। 5,00,000 शिक्षित लोगों को रोजगार देने का एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास-स्थान की व्यवस्था, ग्राम-रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बिजली पहुंचाने की स्कीमों में और गति लाई जाएगी। भूमि-सुधार के कार्य को पूरा करने में तेजी लाई जाएगी।

साथ ही साथ, पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। प्रयत्न यह है कि दाल, तिलहन, गन्ना और कपास का उत्पादन बढ़े, सिंचाई परियोजनाओं में तेजी आए, बिजली घरों के काम में सुधार हो और नए बिजली घर जो प्रायः बन चुके हैं, जल्दी काम करने लगें। इस्पात तथा रसायनिक खादों के उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है।

सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास दोनों में शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के नव-निर्माण और विकास के लिए कदम उठाएगी।

एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना तैयार की जा रही है जो आर्थिक योजना का एक अभिन्न अंग होगी। इससे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को स्वावलंबन और आर्थिक विकास के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम में ला सकेंगे। पर साथ ही ऐसे कदम भी उठाने होंगे जिससे प्राकृतिक परिवेश की स्वच्छता की रक्षा हो सके।

बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण प्रयोगों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक नए अंतरिक्ष विभाग व अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई है।

आंध्र प्रदेश की हाल की घटनाओं से सरकार को काफी चिंता हुई है। इस समस्या का एक लम्बा इतिहास है। हमें इस बात की काफी चिंता है कि इस समस्या को सुलझाने में हिंसा का आश्रय लिया जा रहा है। इस प्रकार की हिंसा से हमारे आधारभूत मूल्यों को आघात पहुंचता है। इससे जान-माल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिन्होंने नुकसान उठाया है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका शांति से विचार-विमर्श करके तर्कसंगत हल न निकाला जा सके। सरकार

अपनी जनता के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना चाहती है। मैं आंध्र प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि वे एक शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ निकालने में सरकार का पूरा साथ दें।

अब मैं पास और दूर के पड़ोसियों से अपने संबंधों की चर्चा करूंगा। हमारी इच्छा रही है कि पाकिस्तान के साथ आपसी हित के मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हों। हमने स्थायी शांति की राह पर पहले कदम के रूप में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इस बात पर बल देता है कि हम दोनों अपने मतभेद किसी बाहरी एजेंसी या तीसरे पक्ष को लाए बिना आपसी विचार-विमर्श और शांतिपूर्ण तरीकों से दूर करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी बातचीत द्वारा ही जम्मू और कश्मीर में, एक ऐसी नियंत्रण रेखा बनाई है जिसका दोनों पक्षों को आदर करना है। इसी प्रकार दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेनाएं हटा ली हैं इस प्रकार भारत ने पांच हजार नौ सौ वर्ग मील से अधिक पाकिस्तानी भूमि छोड़ी। पाकिस्तान के प्रति भारत के मित्रतापूर्ण रवैये का ठोस प्रमाण इसी से मिल जाना चाहिए।

पश्चिमी क्षेत्रों के युद्धबंदी अपने-अपने देश को लौटा दिए गए हैं। जहां तक पूर्वी क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त कमान के आत्म-समर्पण करने वाले युद्धबंदियों का प्रश्न है, यह आशा की जाती है कि पाकिस्तान ऐसे कदम उठाएगा कि इस युद्ध से संबंधित तीनों देश इस प्रश्न पर बातचीत कर सकें। शिमला समझौते से न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार हो सकता है और उनको सामान्य किया जा सकता है, बल्कि सम्पूर्ण उप-महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना भी हो सकती है। इससे इस उप-महाद्वीप के देश अपनी शक्ति तथा सीमित साधनों को अपनी जनता के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के आवश्यक कार्य में तेजी लाने के लिए लगा सकेंगे।

मित्रता, सहयोग तथा शांति की ऐतिहासिक संधि और आपसी हित के विभिन्न मामलों से संबद्ध समझौते, बांग्लादेश के साथ हमारी मित्रता के प्रतीक हैं। बांग्लादेश ने मुक्ति-संग्राम में हुए विध्वंस से हुई क्षति को पूरा करने में अच्छी प्रगति की है। एक वर्ष के भीतर ही बांग्लादेश ने अपना संविधान बना लिया है और पहला आम चुनाव होने जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने इतनी कठिनाइयों के बावजूद राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक क्षतिपूर्ति के मार्ग पर इतनी तेजी से कदम बढ़ाया हो। हमें आशा है कि बांग्लादेश, जिसे 95 देश मान्यता दे चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित स्थान ग्रहण करेगा। बांग्लादेश के साथ हमें भी इस बात की चिंता है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में रोके रखे गए हैं। हम आशा करते हैं कि वे जल्द ही मुक्त कर दिए जायेंगे।

नेपाल के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध और सहयोग बराबर बढ़ रहे हैं। अप्रैल-मई, 1972 में हमें नेपाल के प्रधानमंत्री, सम्माननीय श्री कीर्तिनिधि बिष्ट का अपने देश में स्वागत करने का सुअवसर मिला। हमारी प्रधानमंत्री ने इस महीने के आरम्भ में नेपाल की यात्रा की जिसके दौरान महत्वपूर्ण विचार-विनिमय हुए। इन यात्राओं से दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे निकट के मित्रतापूर्ण और आपसी हित के संबंधों को और मजबूत होने में सहायता मिली।

महामहिम जिग्मे दोरजी वागंचुक के निधन से भूटान ने एक महान राजनीतिज्ञ और भारत ने एक परमप्रिय मित्र खो दिया। नैरोबी में उनकी मृत्यु के समाचार से भारत में गहरा शोक हुआ। नये नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक को हमारा पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। हमें विश्वास है कि उनके शासन-काल में भूटान और भारत के बीच निकट मित्रता के संबंध और भी सुदृढ़ होंगे।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वियतनाम में बहुत लम्बे अर्से के बाद शांति समझौता हो गया है। वह भयंकर युद्ध, जिसने पूरी एक पीढ़ी को तबाह किया, और जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा, समाप्त हो गया है। हम आशा करते हैं कि इस युद्धविराम के बाद स्थायी शांति आयेगी और वियतनाम की जनता पुनर्निर्माण के कार्य में लग सकेगी। हम यह भी आशा करते हैं कि इसके पड़ोसी राज्य लाओस और कम्बोडिया में शांति और व्यवस्था कायम होगी।

हमने सभी देशों के साथ मित्रता, आपसी समझ-बूझ और सहयोग के संबंध मजबूत किए हैं। यह संतोष की बात है कि इनमें से कई देशों के साथ हमारा व्यापार भी बढ़ा। सोवियत संघ के साथ अपने निकट संबंधों की महत्ता हम समझते हैं और उन्हें हम सुदृढ़ करते रहेंगे।

यह हमारी तीव्र इच्छा है कि संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझ-बूझ और सहयोग बढ़े।

युनाइटेड किंग्डम, डेनमार्क और आयरलैंड के प्रवेश के बाद, विशाल यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में एक नये पश्चिमी यूरोप का प्रकट होना एक महान घटना है। हमारी आशा है कि यह विशाल यूरोपीय समुदाय अपने में ही सीमित न रह कर अपनी दृष्टि बाहर भी फैलाएगा और विकासशील देशों की समस्याओं के प्रति सहायक रवैया अपनाएगा।

हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसी सभी गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जिनसे तनाव में कमी आई है। मेरी सरकार चीन के साथ संबंध सामान्य बनाना चाहेगी। हमारे विचार से संयुक्त राज्य अमरीका और चीन, जापान और चीन और उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के बीच मेल-मिलाप बढ़ाने के प्रयत्न तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यूरोप में जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा वर्तमान सीमाओं को मान लेने से जर्मन संघीय गणराज्य और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच, विशेष रूप से और यूरोपीय राज्यों के बीच सामान्य रूप से, तनाव में कमी हुई है।

रोडेशिया का जाम्बिया के साथ अपनी सीमा बंद करने और जाम्बिया के सभी आयात और निर्यात का आना-जाना रोक देने से जांबिया की जनता में जो दु:ख और रोष स्वाभाविक था उसके प्रति हमारी सहानुभूति थी। हमने जाम्बिया सरकार से उस देश को यथायोग्य सहायता देने की बात की है। हमें खेद है कि रोडेशियाई कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के कारण, पिछले महीने डॉ. केनेथ कौण्डा भारत की राजकीय यात्रा पर नहीं आ सके।

युगाण्डा से एशियाइयों का निष्कासन, सरकार के लिए भारी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय मूल के ऐसे कई हजार लोग बेघर हुए जिन्होंने युगाण्डा को अपना घर बनाया था और इसके विकास में योगदान दिया था। मैंने इथोपिया, तनज़ानिया और जाम्बिया की अपनी यात्रा में पाया कि इससे उन अफ्रीकी देशों के, जो आर्थिक विकास, जातीय समानता और सहिष्णुता के लिए प्रयत्नशील हैं, उदार विचारों वाले समुदायों को काफी हैरानी हुई है। उपनिवेशवाद, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में हम अफ्रीकी जनता के साथ हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारा तकनीकी और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।

हमें खेद है कि अरब क्षेत्रों पर इज़राइली आधिपत्य से उत्पन्न समस्या के समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस नाजुक मामले पर हमारा रवैया उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनका हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले प्रस्ताव में फिर से समर्थन किया है, जिसमें इज़राइल से यह कहा गया है कि वह इन क्षेत्रों से हट जाए।

माननीय सदस्यगण, हमारी आंतरिक और बाहरी नीतियों के औचित्य तथा हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्थाओं और हमारी जनता की आधारभूत जीवन शक्ति कई बार सिद्ध हो चुकी है, जब-जब देश को गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि हमारी वर्तमान कठिनाइयां अस्थायी हैं और हम इनका सफलतापूर्वक सामना कर अधिक संगठित और अनुशासित बनेंगे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें स्पष्ट दृष्टि और एक ही लक्ष्य से काम करना है।

आप इस वर्तमान अधिवेशन में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों तथा विधायी कार्य पर विचार करेंगे। सरकार संसद के समक्ष कोयला खान (प्रबंध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 के स्थान पर एक विधेयक पेश करेगी। सरकार संसद के समक्ष एक व्यापक कर नियम (संशोधन) विधेयक भी पेश करना चाहती है। इसके अतिरिक्त, विदेशी अंशदानों को नियमित करने के लिए कानून बनाना, छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना करने का विधेयक तथा चुनाव कानून, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम तथा दिल्ली विकास अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक संसद में पेश किए जायेंगे।

सम्माननीय सदस्यगण! अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं नए प्रयासों के लिए आपका आह्वान करता हूं।